

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(आय-व्यय अनुभाग)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०।

संख्या-जी-689/आई०बी०/22ए-108बी/अनु०-94/पूँजीलेख/आवटन/डिक्रीटल/2018-19, लखनऊ:दिनांक:दिसम्बर 28, 2018

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-94, लेखाशीर्षक 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत शासनादेश सं०-81/1516/18-27-सि-3-03 वाद/18, दिनांक-19.12.2018 द्वारा म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-30.05.2018 एवं इजारायवाद में पारित कुर्की के आदेश दिनांक-10.11.2017 में मे० गुप्ता बिल्डर्स एवं सप्लायर्स को डिक्रीटल मद में किए जाने वाले अपरोक्ष लम्बित बिलों से सम्बन्धित धनराशि ₹० 28,614/- की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

उक्त वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने को फलस्वरूप मुख्य संबंधित मुख्य अभियन्ता को निम्न तालिका के अनुसार धनराशि प्राधिकृत किया जाता है :-

लेखाशीर्षक	मु०अभि० का नाम	धनराशि रु में
अनुदान सं०-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 33-सिंचाई विभाग की विभिन्न नहर/बांध परियोजनाओं के अनुबन्ध से अन्तर्ग्रस्त देय डिक्रीटल धनराशियों का भुगतान 051-निर्माण 10-नहरें 1014-सम्बद्ध कार्य 24-वृहत निर्माण कार्य	गंगा, मेरठ।	28,614.00

(₹० अठ्ठाइस हजार छः सौ चौदह मात्र)

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी बिलों/नियमों/शासनादेशों तथा उक्त शासनादेश दिनांक-19.12.2018 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है।

(विनय कुमार राठी)
प्रमुख अभियन्ता, सि० एवं ज० सं० वि०।

संख्या-जी-689/(1)/आई०बी०/तददिनांक- 28/12/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, मेरठ।
4. मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण)/(अग्रिम नियोजन)/(सूचना संग्रही संगठन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, मेरठ को उक्त शासनादेशों की प्रति सहित।
6. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेशों की प्रति सहित।
7. अधिशासी अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को उक्त शासनादेशों की प्रति सहित।
8. अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन न०-8, सिंचाई मयन एकेडमी, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता, बुलन्दशहर स्वर्णद गंगा नहर, बुलन्दशहर।
10. प्रशासनिक अधिकारी (बजट) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
11. कट फाईल हेतु।

(अशोक कुमार सिंह)
मुख्य अभियन्ता (बजट)
कृते प्रमुख अभियन्ता, सि० वि०।